# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 357/2021

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

गुरदत्तसिंह पुत्र लाभसिंह जाति जट सिख साकिन, चक 14 पी बी एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

..... प्रार्थी ......

**बनाम**

1. अशोककुमार पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड न. 17 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. औमप्रकाश पुत्र हरीराम जाति धानक साकिन दुलमानी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. कृष्णादेवी पुत्री दुलीचन्द जाति धानक साकिन दुलमानी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. पूर्णराम पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड न. 17 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
5. रामप्रताप पुत्र हरीराम जाति धानक साकिन दुलमानी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
6. लालीदेवी पुत्री दुलीचन्द जाति धानक साकिन दुलमानी मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
7. सतपाल पुत्र दुलीचन्द जाति धानक साकिन वार्ड न. 17 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
8. सरवती (फौत)

| | |
|---|---|
| 8/1. श्रीराम<br>8/2. कृष्ण कुमार | पिसरान करतारा राम जाति धानक साकिन संगरिया तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ राजस्थान। |

9. जरिये शाखा प्रबन्धक यू को बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़।

....... अप्रार्थी ......

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

## –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री जसपाल सिंह दहिया | प्रार्थी |
| 2. श्री औम प्रकाश अरोड़ा | अप्रार्थी संख्या 1 ता 8/2 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 10 |

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 25/6/24

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी व अप्रार्थी का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है वाके तहसील पीलीबंगा का चक 14 पी बी एन की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 का खाता सं. 33/28 प. न. 25/303 मु.न. 18 कि.न. 4, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250रास्ता, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250 रास्ता, 7, 14, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250रास्ता, 16/1/0.2280 आबादी, 16/2/0. 0250 रास्ता, 17, 24/1/0.0930 आबादी, 25/3/0.0380 आबादी, [illegible]0300रास्ता, व प.न. 27/303 मु.न. 16 कि.न. 15/1/0.2280, 15/2/0.0250 खाला, 16/[illegible]0.228[illegible]6/2/0.0250खाला, 17/0.1260 की व प.न. 31/304 मु.न. 31 कि.न. 16/0.0276, 16/2/[illegible] रास्ता, 16/3/0.1744, 17, 18, 19/1/0.1260, 20 ता 23, 24/0.2400, 25/0.0380 व प.न. [illegible]/305 मु.न. 32 कि. 1, 2, [illegible]00, 4/0.0380, 8/0.0510, 9/0.2400, 10, 11/0.2400,312/0.0250, 20/0.0250 कुल [illegible] है. नहरी, मय गै. मु. रास्ता, खाला, आबादी खातेदारी कृषि भू[illegible]र्थी गुरदत्तसिंह के नाम [illegible] राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

तहसील पीलीबंगा का चक 14 पी बी एन की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 का खाता सं. 122/151 प.न. 26/303 मु.न. 17 कि.न. 4/2/0.2020, 5/1/0.2280, 5/2/0.0250, 6/1/0.2280, 6/2/0. 0250 रास्ता, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250रास्ता, 16/1/0.2280, 16/2/0. 0250रास्ता, 25/1/0.1770, 25/2/0.0760रास्ता, व प.न. 27 / 303 मु.न. 16 कि.न. 18,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

19, 20, 21/1/0.2020, 21/2/0.0510रास्ता, 22/1/0.2020, 22/2/0. 0510रास्ता, 23/1/0. 2020, 23/2/0.0510रास्ता, 24/1/0.2020, 24/2/0. 0510रास्ता, 25/1/0.1770, 25/2/0. 0510रास्ता, 25/3/0.0250 खाला, व प.न. 37/304 मु.न. 27 कि.न. 1/1/0.2280, 1/2/0. 0250खाला, 2/1/0. 2280, 2/2/0.0250खाला, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250खाला, 4/1/0.2280, 4/2/0.0250खाला,0.0276, 9, 10, 11, 20, 21 कुल 5.7680 है. नहरी, मय गै. मु. रास्ता, खाला, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 अशोककुमार के नाम 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी न. 2 औमप्रकाश के नाम 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी न. 3 कृष्णादेवी के नाम 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी न. 4 पूर्णराम के नाम 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी न. 5 रामप्रताप के नाम 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी न. 6 लीलादेवी के नाम 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी न. 7 सतपाल के नाम 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी न. 8 सरवती के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित 6.5970 है. नहरी, मय गै.मु. रास्ता, खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी के नाम दर्ज प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 14 पी बी एन का प.न. 27/303 मु.न. 16 कि.न. 15/1/0.2280, 15/2/0.0250 खाला, 16/1/0.2280, 16/2/0. 0250खाला, 17/0.1260 कुल 0.6320 है. कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थी न. 1 ता 8 की उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 14 पी बी एन का प.न. 27/303 मु.न. 16 कि.न. 25/0.0250 है चालू रास्ता में से बतौर रास्ता के आना जाना कर रहा है। जो उक्त चक 14 पी बी एन का प.न. 27/303 मु.न. 16 कि.न. 25 की पूर्व दिशा की सींव की ओर खाला के साथ लगता उत्तर–दक्षिण 1 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जिसमें से प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में आना जाना बतौर रास्ता मय ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाडी व पैदल चलकर व कृषि औजार सहित कर रहा है जो प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को लगता हुआ रास्ता चालू है। जिसे रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके अलावा प्रार्थी की उक्त 0.6320 है. कृषि भूमि को कोई अन्य रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने के एवज में 0.0250 है. कृषि भूमि या रास्ता स्वीकृत किये जाने वाली 0.0250है. कृषि भूमि की सरकारी ईन्डेक्स रेट (डी एल सी) अनुसार कीमत की राशि देने को तैयार है । तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थी न. 10 भू–धारक होने से व अप्रार्थी न. 9 का नाम उक्त वर्णित कृषि का खाता में नाम अंकित होने से दावा में पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे। 6. यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे–(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 14 पी बी एन का प.न. 27/303 मु.न. 16 कि.न. 25/0.0250 कुल 0.0250 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। जो उक्त चक 14 पी बी एन का प.न. 27/303 मु.न. 16 कि. न. 25 की पूर्व दिशा की सींव की ओर खाला के साथ लगता उत्तर–दक्षिण 1 बीघा लम्बा व पूर्व–पश्चिम 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री औमप्रकाश अरोड़ा द्वारा अप्रार्थी स. 1 ता 8/2, की और निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये है अस्वीकार है। अप्रार्थी स. 3 व 6 का गलत पता अंकित किया है। तथा अप्रार्थी स. 8 काफी अर्सा पूर्व फौत हो चुकी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी ने अपनी भूमि दर्ज की है जिसे सिद्ध करना प्रार्थी का कर्तव्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जिसमे अप्रार्थी स. 6 का नाम लीला देवी लिखा गया है जो कि गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है अप्रार्थिया के कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 पी.बी.एन के प.न. 27/303 में किसी भी प्रकार का रास्ता नही है ना ही प्रार्थी का उक्त 27/303 के किला न. 16, 25 आना जाना है ना ही उक्त रास्ता चालू है ना ही कभी चालू रहा है। प.न. 28/303 किला न, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे प्रार्थी आना जाना करता है उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता जो कि मुख्य सडक पर के पन 27/303 के किला न. 21 ता 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता चालू है जो कि इसी अनुसार चिपते हुए प.न. 28/303 इत्यादि पर है। प्रार्थी को चूकि स्वीकृतशुदा रास्ता उसके किले के पास ही लगता है जो चालू तथा प्रार्थी के खेत के काफी नजदीक भी है प्रार्थी जानबुझक हमारे खेत मे से रा[illegible] ताकि उसके बीघे मख्य सडक पर आ लगे मुख्य सडक जो खरलिया रोड़ है। प्रार्थी का उ[illegible]र्थीगण को परेशान करने वाला है प्रार्थी कि ने अप्रार्थी के विरूद्ध गलत त[illegible]की जमीन हडप सके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस आधा[illegible]होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथ[illegible] अस्वीकार है तहसीलदार पीलीबंगा को पक्षकार बनाने से पूर्व उन्हें नोटिस देना आवश्यक था जो [illegible] इन्होने नही किया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थी की कृषि भूमि चक 14 पी.बी.एन के प.न. 28/303 के किला न. 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे वह आना जाना करता है इसके अतिरिक्त भी उसको पडोसी मुरब्बो से आना जाना करता है। प्रार्थी का प्रार्थना विधि विरूद्ध है प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध है जो कि उसके काफी नजदीकी है उक्त प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक कमांक राजस्व/2022/1456 दिनांक 14.06.2022 से प्राप्त की गई है मुताबिक जांच रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित समस्त काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है। **प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प.न. 28/303 कि.न. 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है।** प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प.न. 28/303 कि.न. 21 के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता कम दूरी पर नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प.न. 28/303 कि.न. 21 के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी का संयुक्त खाता है।

प्रकरण में मौका निरिक्षण किया गया मौका पर भूअभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी हल्का मौका पर उपस्थित रहे। प्रार्थी को चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता मुख्य सडक से पन 27/303 के किला न. 21 ता 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता चालू है जो कि प्रार्थी चाहे गए रास्ते की सुविधा से कम दूरी का है स्वीकृतशुदा रास्ता उसके किले के पास ही लगता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

## –आदेश–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता लगता है। प्रार्थी चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/6/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:23:16 IST
Reason: SelfAttested